वकुलाथ परिवैन हाजिरी ... को पेश होने से पत्रावली बिनांक 14/5/2024 को पेश हो।

20/2/2024

14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अभिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को जरिये नोटिस खारिज करने का निवेदन किया।

अतः अभिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2/2 राजस्थान अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पर जरिये नोटिस खारिज किया जाता है।

पत्रावली के फल स्वरूप होकर नकल से कम की जाकर अभिलेख दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested